

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.15(12)राज/वाद/06 पार्ट-2

जयपुर, दिनांक 27-11-2020

:: आदेश ::

कोविड -19 महामारी के दौरान राज्य में कार्यरत अधिवक्ता संवर्ग के लोक अभियोजक/विशिष्ट लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजकगण के कोरोना पॉजेटिव पाये जाने पर क्वारेन्टाईन रहने पर इनके द्वारा सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर इन्हे मासिक रिटेनरशिप का भुगतान देय है तथा इनके द्वारा क्वारेन्टाईन अवधि में माननीय न्यायालय में वी0सी0 अथवा अन्य माध्यम से पैरवी की है तो ऐसी स्थिति में संबंधित अभियोजक द्वारा विचारण न्यायालय की आदेशिका की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर इन्हे प्रतिदिन एपीरियन्स फीस का भुगतान नियमानुसार देय है।

आज्ञा से

३०

( मधुसूदन शर्मा )

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त जिला कलक्टर ।
2. समस्त लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, राजस्थान ।
3. समस्त विशिष्ट लोक अभियोजक राजस्थान ।
4. समस्त अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, राजस्थान ।
5. समस्त कोषाधिकारी राजस्थान ।
6. सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, विधि (वादकरण) विभाग ।
7. प्रोग्रामर विधि विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
8. रक्षित पत्रावली ।

( मधुसूदन शर्मा )

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण